BSES

60 किलोवॉट बिजली की चोरी पकड़ी : 18 लाख जुर्माना, दो मकान मालिकों को जेल

- दरियागंज में नौ फ्लैटों का मालिक राशिद 41 किलोवॉट की बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया
- टैंक रोड में बड़े परिसर के मालिक मल्होत्रा को 18 किलोवॉट की बिजली चेारी करते हुए पकड़ा गया
- राशिद घरेलू उपयोग के लिए बिजली की चोरी कर रहा था, जबकि मल्होत्रा औद्योगिक उपयोग के लिए
- राशिद को बिजली चोरी में दूसरी बाद पकड़ा गया है

नई दिल्ली: 27 अगस्त, 2008। बिजली की स्पेशल कोर्ट ने दो अलग–अलग मामलों में दो मकान मालिकों को जेल भेज दिया। उन्हें करीब 60 किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। दरियागंज में नौ फ्लैटों का मालिक राशिद 41 किलोवॉट की बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जबकि टैंक रोड में बड़े परिसर के मालिक राजेंद कुमार मल्होत्रा को 18 किलोवॉट की बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था। राशिद घरेलू उपयोग के लिए बिजली की चोरी कर रहा था, और मल्होत्रा औद्योगिक उपयोग के लिए। गौरतलब है कि राशिद को बिजली चोरी में दूसरी बाद पकड़ा गया है। वैसे, सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत के लिए उन्हें या तो कुछ दिन जेल में गुजारने पड़े, या फिर उन्हें 50– 50 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत दी गई।

नौ फ्लैटों का मालिक राशिद, बिजली चोरी में दूसरी बार पकड़ा गया

रंग महल, दरिया गंज में नौ फ्लैटों के मालिक राशिद को बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के आरोप में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। राशिद अपने विभिन्न फ्लैटों को किराए पर लगाया करता था। दिसंबर, 2007 में, बीएसईएस की एन्फोर्समेंट टीम ने राशिद के फ्लैटों पर छापा मारा था, जिसमें उसने कुल 41 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी थी। इन जगहों पर चोरी की बिजली का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। फ्लैटों के निकट से गुजर रही बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर, राशिद बिजली की चोरी कर रहा था। भारतीय बिजली कानून के तहत, राशिद पर 6 लाख 70 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। तय समय सीमा के अंदर जब आरोपी ने जुर्माने की रकम जमा नहीं कराई, तो बीएसईएस इस मामले को पटपड़गंज की स्पेशल कोर्ट में ले गई। हालांकि आरोपी ने जमानत की अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने कहा– मासले की गंभीरता और आरोपी के व्यवहार को देखते हुए, मैं इसे जमानत के उपयुक्त नहीं समझता। और इसके बाद, आरोपी को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कुछ दिन जेल में गुजारने के बाद आरोपी ने फिर दूसरी बार जमानत की अर्जी दाखिल की, तब जाकर उसे जमानत मिल पाई।

मई, 2006 में भी बीएसईएस टीम ने राशिद को 51. 5 किलोवॉट बिजली करते हुए पकड़ा था। तब जांच में यह पता चला था कि उसने कभी भी बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन ही नहीं किया था। उस वक्त पस पर 9 लाख 90 हजार रूपये का जुर्माना किया गया था। उस वक्त वह भाग गया था और कानून के हाथ नहीं आ पाया था, लिहाजा उसके खिलाफ जमानती और गैर जमती दोनों वॉरंट जारी किए गए थे। इस पहले मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर, 2008 को होनी है।

मामले की एक खास बात यह है कि 2006 में बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी आरोपी ने बिजली चोरी करने से तौबा नहीं की और इसे जारी रखा और दुबारा पकड़ा गया।

मल्होत्रा व किराएदार, औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली चोरी करते पकड़े गए

ई–16/ 925 टी, पदम सिंह रोड, खालसा नगर, टैंक रोड मालिक राजेंद्र कुमार मल्होत्रा व उसके दो किराएदारों विनोद और कैलाश को 18 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया। मकान मालिक राजेंद्र कुमार मल्होत्रा को गिरफ्तार कर, न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके दो किराएदारों– विनोद और कैलाश को 50– 50 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई।

दरअसल, बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने जनवरी, 2007 में छापेमारी के दौरान उपरोक्त लोगों को 18 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा था। यहां कपड़े सिलने और आयरन करने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जांच में पता चला कि राजेंद्र कुमार ने विनोद और कैलाश को यह जगह, औद्योगिक इकाई चलाने के लिए किराये पर दी हुई थी। उल्लेखनीय है कि यहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन, मल्होत्रा इन दोनों किराएदारों से मकान का किराया तो लेता ही था, साथ ही बिजली के लिए भी वह उन्हें चार्ज करता था।

बहरहाल, बिजली कानून के प्रावधानों के हिसाब से, उन पर 10. 53 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। मल्होत्रा ने पार्ट पेमेंट के तौर पर 3.5 लाख रूपये का चेक भी बीएसईएस को दिया, लेकिन उसके अकाउंट में पर्याप्त पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बीएसईएस इस मामले को पटपड़गंज की स्पेशल कोर्ट में ले गई।

राशिद की ही तरह, मल्होत्रा की जमानत अर्जी भी पहली बार खारिज कर दी गई। जमानत अर्जी को खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा – मल्होत्रा सिर्फ अपने स्थान के लिए ही ऊंचा किराया नहीं ले रहा, बल्कि बिजली के लिए भी वह चार्ज कर रहा है ... चोरी की जा रही थी....। ऐसी स्थिति में आरोपी राजेंद्र कुमार मल्होत्रा की जमानत याचिका को खारित की जाती है। अदालत ने मल्होत्रा को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। कुछ दिन जेल में गुजारने के बाद आरोपी ने फिर दूसरी बार जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई।